उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन: 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

सं0 : 96 –विनियम एवं औस/पाकालि/10–6–विनियम/98 **दिनांक 20 अगस्त, 2010**

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 (उ0प्र0 शासन की विज्ञप्ति सं0 2367/II–01–118–54 दिनांक 21.07.1956 सपठित विज्ञप्ति सं0 1315/98 टी0सी0–का–1/1998 दिनांक 17.10.98) कारपोरेशन के कार्मिकों पर लागू किये जाने हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0 100 –विनियम–23/पाकालि–2001– 6–विनियम/98 दिनांक 19.06.2001 द्वारा अंगीकृत की गई है। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 20.07.2010 को हुई चौरासी (80)/10वीं बैठक में उक्त नियमावली, 1956 के नियम 24 (3) के प्राविधान स्तम्भ–1 को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कापोरेशन लि0 तथा विद्युत वितरण निगमों के अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों पर प्रभावी करने के लिए स्तम्भ–2 में अंकित प्राविधान से एतद् द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
24(3) : प्रथम नियुक्ति के समय और तदुपरान्त हर पॉच वर्ष की अवधि बीतने पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सामान्य मार्ग के माध्यम से नियुक्त करने वाले प्राधिकारी को, ऐसी सभी अचल सम्पत्ति की घोषणा करेगा जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिसे उसने खुद अर्जित किया हो या जिसे उसने दान के रूप में पाया हो या जिसे वह पट्टा या रेहन पर रखे हों, ऐसे हिस्से को या अन्य लगी हुई पूँजियों की घोषणा करेगा, जिन्हें वह समय–समय पर रखे या अर्जित करेगा या उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गयी हो। इस घोषणाओं में सम्पत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूँजियों के पूरे ब्योरे दिये जाने चाहिए।	उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कापोरेशन लि0 तथा विद्युत वितरण निगमों के अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपनी (पति/पत्नी या नाबालिग बच्चों के नाम दर्ज सम्पत्ति सम्मिलित करते हुए) चल/अचल सम्पत्ति, उसके प्राप्त होने की तिथि, उसका माध्यम, अनुमानित लागत, आय का स्त्रोत आदि का विवरण अपनी प्रथम नियुक्ति एवं उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष (01 जनवरी से 30 जनवरी के बीच) अपने नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

2. उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

नवनीत सहगल
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या :–96 (1)–विनियम एवं औस/पाकालि/10–6–विनियम/98 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
(2) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
(3) अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0 ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 /उ0प्र0 राज्य जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।

.........2

(5) समस्त निदेशक गण, उ0प्र0पा0का0लि0 के निजी सचिव।

(6) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/ केस्को, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर।

(7) अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।

(8) मुख्य अभियन्ता एवं संयोजक, जॉच समिति–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0पा0का0लि, लखनऊ।

(9) महाप्रबन्धक (लेखा एवं प्रशा0)/महाप्रबन्धक (औस), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।

(10) अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय/(अरा0), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।

(11) समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता,उ0प्र0पा0का0लि/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 /डिस्काम।

(12) कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 20.07.10 को हुई बैठक की मद सं0 चौरासी (80)/10 के सन्दर्भ में।

(13) उपसचिव (ज0श0 एवं प्र0सु0) के पत्र सं0 685–ज0श0 एवं प्र0सु0–10/पाकालि/10–28–ज0श0 एवं प्र0सु0/09 दिनांक 13.08.10 के सन्दर्भ में।

(14) अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट), उ0प्र0पा0का0लि, कमरा नं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ।

(जावेद अहमद) 20/8/10

<u>अनुसचिव (विनियम)</u>